

96

अदालत/महोदय

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवाँ संभाग रीवाँ
₹ २० प्र०

58
23-2-15

निगरी नं० 712-III-15



Rs. 20/-

- 1- राजमन द्विवेदी तनय बाला प्रसाद द्विवेदी
- 2- श्याम गोपाल द्विवेदी तनय राजमन द्विवेदी
- 3- रामगोपाल द्विवेदी तनय राजमन द्विवेदी सभी निगासी ग्राम पनास तहसील नागौद जिला सतना ₹ २० प्र०

निगराकारण

बनाम

बालकृष्ण द्विवेदी तनय दरवारी लाल द्विवेदी साकिन पनास तहसील नागौद जिला सतना ₹ २० प्र०

गैर निगराकार

न्यायालय रीवाँ
द्वारा आज दिनांक 24-2-15
प्रस्तुत किया गया।
मिडर
लिंक कोर्ट रीवाँ

निगरानी विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार साहब वृत्त सिंहपुर तहसील नागौद के प्र० 547/374/13-14 आदेश दि. 20-02-2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० मू० र संहिता ।

क्रमांक 4795
रजिस्टर्ड पिस्ट द्वारा आज
दिनांक को प्राप्त

3-15
महोदय,
सहायक मण्डल अ.प्र. ग्वालियर

निवेदन है कि प्रार्थी/निगराकारण निम्नानुसार निगरानी पेश कर

विनयी है कि :-

- 1- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है कि गैर निगराकार/ आवेदक द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त सिंहपुर के समक्ष निगराकारण अनावेदकगण के विरुद्ध ग्राम पनास खम्हरिया के बी० पी० एल० सूची से नाम बिलोपित करने का शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण का विचारण किया जा रहा था। निगराकारण के पीठ पीछे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत कार्यवाही की जाकर गैर निगराकारण से सॉठ-गॉठ करके नाम बिलोपित

✓

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ


मामला क्र0R.712-III/15

जिला-सतना

राजमन द्विवेदी/ बालकृष्ण

(1)	(2)	(3)
20 .07.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।	




सदस्य